

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत

मुकाम

श्रीमती कमला देवी शां बंशी लाल बनाम श्रीता देवी शां महावीर सुथार

रजस मुकदमा

प्रार्थना पत्र

नं.

85

सन

2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
१६-२-२५	<p>पत्रावली पेशा 1, जमीन अधपत्र अपविबल। पत्रावली वास्तो जवान बस्त हेतु डिमांड 07-3-25 को पेशा हो।</p> <p>07-3-25 पत्रावली पेशा हुई उभयपक्ष के अधिवक्ता उपर बहल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI पर सुनी गयी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व जवाब में अंकित तथ्यों तथा बहल के तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजों व विभिन्न दृष्टान्तों के अधीन प्रार्थना पत्र का प्रार्थना पत्र आस्थाई निषेधाज्ञा हेतु स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व दिनांक 14-2-2025 को अधीन संख्या 127 के अधिसूचना जारी अन्तर्गत आस्थाई निषेधाज्ञा को फास्ट (Comm) की जाकर ग्राम रायला तहसील बनेडा की आराजी नम्बर (2399, 2400, 2402, 2403, 2404, 3259, 2396, 2397, 2398, 2401) कुल कीता 10 कुल रकबा 2.2762 हेक्टर को किसी अन्य को लुके लुके, अन्तर्गत व भारत, संप्रतिवर्तन कादि न स्वयं को न कि अन्य से बचावे तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। आदेश लिखा जाकर</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

म
अ
हु

सुनाया गया। पत्रावली पैसल शुमान होकर
गम्वर से कम हो।

७५,

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा